संख्या-02/2024/आई/840495/23-1-25-23-1002(002)/103/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 02 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत 04 कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के पत्र संख्या-11534/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2024-25, दिनांक 27.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-790/2024/आई/838319/23-1-24/014-23-1002(002)/103/2024, दिनांक 31.12.2024 द्वारा मुरादाबाद मण्डल के विभिन्न जनपदों के 04 चालू कार्यों हेतु रू0 1006.23 लाख (रूपये दस करोड़ छः लाख तेईस हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-790/2024/आई/838319/23-1-24/014-23-1002(002)/103/2024, दिनांक 31.12.2024 द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 04 कार्यों में से शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-4 पर अंकित कार्य हेतु स्तम्भ-8 पर अंकित अवमुक्त धनराशि रू0 410.30 लाख के स्थान पर रू0 310.30 लाख तथा तालिका का योग रू0 1006.23 लाख पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-790/2024/आई/838319/23-1-24/014-23-1002(002)/103/2024, दिनांक 31.12.2024 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में शेष अंकित कार्यों की लागत एवं अन्य तथ्य व विवरण तथा शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2024/आई/840495(1)/23-1-25-23-1002(002)/103/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।